हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

(समितियां)

अधिसूचना

दिनांक 9 नवम्बर, 2013

संख्या का०आ० 94/ह०अ० 16/1994/धा० 87, 149/2013.—हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16), की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां), अधिसूचना संख्या का० आ० 85/ह०अ०16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 85/ह०अ०16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में, पैरा 3 में, उप पैरा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) सेवारत सैनिकों/अर्ध-सैनिक बल के कार्मिक तथा भूतपूर्व सैनिकों/अर्ध-सैनिकों अथवा उसके /उसकी पति/पत्नी, मृतक सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल के कार्मिक के परिवारों के स्वामित्व वाले आवासीय मकानों को शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी बशर्ते कि वे हरियाणा राज्य में कोई अन्य रिहायशी मकान नहीं रखते हों तथा इसमें स्वयं निवास कर रहे हों तथा मकान का कोई भाग किराये पर नहीं दे रखा हो।"।

पी० राधवेन्द्रा राव,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[*Authorised English Translation*]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
(COMMITTEES)

Notification

The 9th November, 2013

No. S.O. 94/H.A./16/1994/S.87, 149/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A. 16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A. 16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 3 for sub-para (ii) the following sub-para shall be substituted, namely :—

"(ii) 100% rebate shall be given to the self occupied residential houses owned by the serving defence/paramilitary force personnel and ex-service/paramilitary force personnel or his/her spouse; families of deceased soldiers/ex-servicemen/ex-central paramilitary forces personnel, provided they have no other residential house in the Haryana State and are residing there in themselves and have not let out any portion of the house.".

P. RAGHAVENDRA RAO,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.